30

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 5493-दो/2016 अपील - विरुद्ध आदेश दिनांक 16-5-2013 - पारित व्दारा कलेक्टर आफ स्टाम्प , जिला सिंगरोली - प्रकरण क्रमांक 03-बी-105/2009-10

वीरेन्द्र शर्मा पुत्र युगल किशोर पाण्डेय
सी.एम.आई.जी.3-10/1611 नेहरूनगर
रीवा तहसील हुजूर सिविल लायन्स रीवा ---अपीलांट

विरुद्ध

कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला सिंगरोली ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट की ओर से श्री वीरेन्द्र द्विवेदी अभिभाषक)
(रिस्पा. की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं)

आ दे श
(आज दिनांक 4 - 4 -2018 को पारित)

यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 3 बी 105/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2013 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि श्रीमती विनीता माथुर पुत्री स्व. दयाशंकर माथुर के नाम एक किता प्लाट अल्प आय वर्ग सहकारी गृह निर्माण संस्था समिति रीवा व्लाक नंबर 6 - प्लाट नंबर 22 रकबा 60X80 वर्गफुट स्थित ग्राम समान रीवा में है जिस पर श्रीमती विनीता माथुर ने पावर आफ अटार्नी (मुख्त्यार नामा) दिनांक 30 जून 2008 आवेदक के हित में पंजीकृत

कराया। महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर की आडिट पार्टी व्दारा किये गये अंकेक्षण में उठाई गई आपत्ति स्वरुप उप पंजीयक सिंगरोली ने कम स्टाप्म वसूली का प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर आफ स्टाम्प सह् जिला पंजीयक सिंगरोली के प्रतिवेदन दिनांक 2-2-10 से प्रस्तुत किया , जिस पर से कलेक्टर आफ स्टाम्प सह् जिला पंजीयक सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 3 बी 105/2009-10 पॅजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया। आवेदक को अनुपस्थित रहना मानकर आदेश दिनांक 16-5-2013 पारित किया तथा भूखंड का मूल्य 4,50,000/- रू. निर्धारित कर स्टाम्प शुल्क 36000/- , एंव पंजीयन शुल्क 3745/- निर्धारित करते हुये कम देय शुल्क पूर्व में देय शुल्क से कम करते हुये शेष मुद्रांक शुल्क 35900/- एंव पंजीयन शुल्क 3645 कुल 39545/- रू. 30 दिवस के भीतर शासन हित में जमा कराने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जिला पंजीयक ने आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है एंव किसी प्रकार का सूचना पत्र भी जारी नहीं किया है इस प्रकार जिला पंजीयक का आदेश एकपक्षीय है.। महिला श्रीमती विनीता माथुर ने अपीलांट को केवल प्लाट की देखभाल के लिये मुख्त्यारआम नियुक्त किया है विकय के लिये नहीं। मुख्त्यारनामा पंजीयन होने से एक वर्ष तक के लिये था किन्तु उप पंजीयक ने हाथ से मुख्त्यारनामा में हस्ताक्षर के उपर दर्ज करवा लिया था और प्रमाणित दस्तावेज वापिस कर दिया था। अपीलांट के विरुद्व एकपक्षीय आदेश है इसलिये कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला सिंगरोली का आदेश दिनांक 16-5-2013 निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे।

4/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को के परिप्रक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 3 बी 105/2009-10 का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि उप पंजीयक सिंगरोली के प्रस्ताव दिनांक 2-2-2010 पर जिला पंजीयक ने यह प्रकरण अपीलांट के विरुद्व पॅजीबद्ध किया है एंव आर्डरशीट दिनांक 16-2-10 लिखकर अनावेदक को आहुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी कम में दिनांक 20-4-2010 की तिथि

नियत कर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया है इस नोटिस की प्रति कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 3 बी 105/2009-10 में पृष्ठ 8 पर संलग्न है जिसका अग्रिम पृष्ठ एंव पीठ पृष्ठ रिक्त है एंव अपीलांट पर सूचना पत्र निर्वाह कराया गया अथवा नहीं , तामील कुनिन्दा की टीप भी अंकित नहीं है, अपितु सूचना पत्र बिना निर्वहन के प्रकरण में संलग्न है। ऐसी स्थिति में यही माना जावेगा कि कलेक्टर आफ स्टाम्प सह जिला पंजीयक सिंगरोली ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा सूचना पत्र का निर्वहन समुचित ढंग से कराये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसके कारण कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला सिंगरोली व्दारा पारित आदेश दिनांक 16-5-2013 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण क्रमांक 3 बी 105/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह समस्त हितबद्ध पक्षकारों पर विधिवत् सूचना पत्र का निर्वहन कराकर, उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर